

DGT-TCDD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 10.02.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
मेहता प्राइवेट आईटीआई,
चाका, नैनी, जिला - इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश - 211008

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।


महोदय,

इस निदेशालय को दिनांक 15.01.2021 को श्री जगदीश प्रसाद, प्रबन्धक, श्री राम आदर्श निजी आईटीआई, पनवारी, सिकन्दरा, आगरा, उ० प्र० के द्वारा एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें बताया गया है कि श्री मेहता प्राइवेट आईटीआई, (MIS Code PR09001999) में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं (प्रति सलंगन है)।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 26.02.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए
- शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. श्री जगदीश प्रसाद, प्रबन्धक, श्री राम आदर्श निजी आईटीआई, पनवारी, सिकन्दरा, आगरा, उ० प्र० ।
3. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है ।


(रवि चिलुकुटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

सेवा में,

महानिदेशक,
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,
प्रशिक्षण महानिदेशालय,
कमरा नं०-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आई.ए.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012

Aug
19/11
Affiliation
A7 (A)
AD(BS)

विषय :- निजी आईटीआई के फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सम्पूर्ण जानकारी देते हुए इस बात से सूचित कराना चाहता हूँ कि मेहता निजी आईटीआई-2913 (PR09001999) चाका, नैनी, प्रयागराज निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित कमियों के बावजूद प्रशिक्षण के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है-

1. उक्त निजी संस्थान डीजीआई के मानक के अनुसार नहीं हैं ना ही इस संस्थान में कोई कम्प्यूटर लैब है और न ही छात्रों के बैठने की व्यवस्था।
2. उक्त निजी आई.टी.आई. में मशीनरी व टूल्स में नहीं हैं निरीक्षण के दौरान पहले निजी आई.टी.आई. के टूल्स दूसरी निजी आई.टी.आई. में रखकर धोखे से निरीक्षण कराया गया।
3. उक्त निजी संस्थानों के छात्र प्रशिक्षण देने नहीं बुलाया जाता सिर्फ उनसे रुपये वसूले जाते हैं और कहा जाता है कि A ग्रेड से पास करवा दिया जायेगा संस्थान में आने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त संस्थान दिये गये पते पर है ही नहीं व इस संस्थान का संचालन सिर्फ एक किराये के बने मकान के एक कमरे से संचालन किया जा रहा है।
5. प्रशिक्षण के लिए कोई अनुदेशक नहीं है जो है वो आई.टी.आई. पास है तथा उन्हीं में से एक को प्रधानाचार्य नामित कर दिया गया है।

उपरोक्त जितने भी तथ्य फर्जीवाड़े के उल्लेख किये गये हैं पूर्णतः सही हैं इसकी गहनता से जाँच कराने तथा भारत सरकार को धोखे में रखने के इस फर्जीवाड़े को बन्द करवाने का कष्ट करें साथ ही इस अपराध की सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।



भवदीय

(जगदीश भासाद)

प्रबन्धक

श्री राम आदर्श निजी औद्योगिक
पनवारी, सिकन्दरा, आगरा।